शिक्षा का अधिकार

राज्य शिक्षा केन्द्र

पुस्तक भवन, बी–विंग, अरेरा हिल्स, भोपाल—462 011

दूरभाष : (0755) 2768390, 91, 92, 94, 95 फैक्स : 2552363, 2760561

क्रमाक / राशिके / आरटीई / 2022 / 4451 भोपाल, दिनांक 26.7.2022

प्रति,

कलेक्टर,

समस्त जिले, मध्यप्रदेश

विषयः–शैक्षणिक सत्र 2022-23 हेतु शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अन्र्तगत गैर अनुदान मान्यता प्राप्त अशासकीय स्कूलों में प्रथम चरण प्रवेश के पश्चात द्वितीय चरण हेतु रिक्त सीटों पर प्रवेश प्रक्रिया के संबंध में।

सन्दर्भः–राज्य शिक्षा केन्द्र का पत्र कं / राशिके / आरटीई / 2022 / 3681 भोपाल दिनांक 14.06.2022

निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 12(1)(ग) के प्रभावी क्रियान्वयन तथा कमजोर वर्ग एवं वंचित समूह के बच्चों के निःशुल्क प्रवेश सत्र 2022–23 प्रथम चरण की प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है। प्रथम चरण के उपरांत स्कूलों में रिक्त सीटों को आरटीई पोर्टल पर प्रर्दशित किया गया है इन रिक्त सीटों में द्वितीय चरण के माध्यम से प्रवेश हेतु समय सारणी निम्नानुसार निर्धारित की जाती हैः–

क.	गतिविधि	समय–सीमा
1	आवेदको द्वारा द्वितीय चरण हेतु स्कूलों की च्वाइस अपडेट करना	दिनांक 27–31 जुलाई 2022 तक
2	ऑनलाईन लॉटरी के माध्यम से स्कूल का आवंटन	**02 अगस्त 2022**
3	आवंटन पश्चात आवंटित स्कूल में प्रवेश हेतु उपस्थित होकर प्रवेश प्राप्त करना एवं संबंधित अशासकीय स्कूल द्वारा मोबाइल एप के माध्यम से एडमीशन रिपोर्टिंग करना ।	03–06 अगस्त 2022 तक

द्वितीय चरण हेतु ऑनलाइन आवेदन में स्कूलों की च्वाइस अपडेट करने के संबंध में निर्देश निम्नानुसार हैः–

1. आवेदको को नवीन आवेदन दर्ज करने का विकल्प नही होगा। जिन आवेदको ने सत्र 2022–23 हेतु ऑनलाइन आवेदन किया है एवं सत्यापन केन्द्र पर जाकर मूल दस्तावेजो से सत्यापन कराया था एवं सत्यापन में पात्र हुये है केवल केवल वही आवेदक स्कूल की च्वाइस अपडेट करने हेतु पात्र होगे।
2. द्वितीय चरण में आवेदक को केवल स्कूल की च्वाइस अपडेट (जोडना / हटाना) करने का विकल्प प्रदान किया गया है।
3. सत्यापन उपरांत पात्र पाये गये आवेदक जिन्हे प्रथम चरण में कोई स्कूल आवंटित नही हुआ है अथवा ऐसे आवेदक जिन्हे प्रथम चरण में स्कूल आवंटन हुआ है परन्तु उनके द्वारा आंवटित स्कूल में प्रवेश नही लिया है वह द्वितीय चरण में सम्मलित होने हेतु स्कूल की च्वाइस अपडेट कर सकते है।
4. द्वितीय चरण में यदि कोई आवेदक स्कूल की च्वाइस अपडेट नही करता है तो सीट रिक्त होने की स्थिति में इसी आवेदन को द्वितीय चरण हेतु सम्मलित किया जायेगा।
5. कोविड–19 के कारण अथवा किसी अन्य परिस्थितियों के कारण यदि बंद अशासकीय स्कूल में हो गया है अथवा किसी अल्पसंख्यक स्कूल में प्रथम चरण में आवंटन हो गया है एवं उनका इन स्कूल में उनका प्रवेश

नही हो सका है तो छात्र हित को देखते हुये ऐसे आवेदकों को भी द्वितीय चरण में अन्य स्कूल की च्वाइस अपडेट करने का विकल्प प्रदान किया गया है।

कृपया प्रवेश प्रकिया सत्र 2022–23 द्वितीय चरण हेतु उपरोक्त समय सारणी अनुसार कार्यवाही हेतु संबंधितो को उपलब्ध संसाधनों के माध्यम से अवगत कराते हुये समुचित कार्यवाही करने का कष्ट करें।

26/07/2022

(धनराजू एस.)
संचालक
राज्य शिक्षा केन्द्र

पृष्ठाकंन क्रंमाक / राशिके / आरटीई / 2022 / 4452 — भोपाल दिनांक

प्रतिलिपिः–

1. निज सचिव, माननीय राज्य मंत्री(स्वतंत्र प्रभार),म.प्र. शासन स्कूल शिक्षा विभाग, म.प्र.।
2. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग।
3. आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय म.प्र. भोपाल।
4. आयुक्त जनसंपर्क विभाग म.प्र. भोपाल।
5. प्रबंध संचालक स्टेट आईटी सेंटर म.प्र. भोपाल की ओर सूचनार्थ।
6. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, समस्त जिले, म.प्र. की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
7. संभागीय संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण, समस्त संभाग।
8. सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास विभाग, समस्त जिले म.प्र.।
9. जिला शिक्षा अधिकारी समस्त जिले म.प्र.
10. जिला परियोजना समन्वयक, जिला शिक्षा केन्द्र, समस्त जिलें म.प्र. की ओर उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही वावत।
11. विकासखंड श्रोत समन्वयक, जनपद शिक्षा केन्द्र ,समस्त विकासखंड म.प्र. की ओर उपरोक्तानुसार कार्यवाही वावत।

26/07/2022

संचालक
राज्य शिक्षा केन्द्र